न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, चमोली।

उपस्थित– जैनब, उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा।

निर्णय की तिथि–27.04.2023

फौजदारी वाद संख्या– "T" **245/2022**

CNR No.- UKCL020003512022

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–17/22

धारा– 323, 342, 354, 365, 427,
504 एवं 506 भा0दं0सं0,1860

थाना– चमोली।

शिकायतकर्ता	उत्तराखण्ड राज्य
राज्य की ओर से	विद्वान अभियोजन अधिकारी श्री धर्मेन्द्र कुमार
अभियुक्त	1. मोहित पंत पुत्र श्री दिवाकर प्रसाद पंत निवासी ग्राम–मायापुर बटुला, थाना व जिला–चमोली।
अभियुक्त की ओर से	विद्वान अधिवक्ता श्री मनवर सिंह सजवाण

फॉर्म–बी

अपराध का दिनांक	16.02.2022
प्रथम सूचना रिपोर्ट का दिनांक	17.02.2022
आरोप पत्र दाखिल करने का दिनांक	16.06.2022
आरोप विरचित किये जाने का दिनांक	11.10.2022
साक्ष्य प्रारम्भ करने का दिनांक	16.12.2022
निणर्य सुरक्षित रखने का दिनांक	24.04.2023
निणर्य का दिनांक	27.04.2023
सजा सुनाये जाने का दिनांक	–

अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त का रैंक	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी/आत्मसमर्पण का दिनांक	जमानत पर रिहा होने का दिनांक	आरोपित अपराध	दोषमुक्ति या दोषसिद्धि	सजा की अवधि	जेल में बिताई गयी अवधि
A-1.	मोहित पंत	गिरफ्तारी 29.03.2022	07.04.2022	धारा 323, 342, 354, 365, 427, 504 एवं 506 भा.द.सं. 1860	दोषमुक्त	–	10 दिन

न्यायिक मजिस्ट्रेट,
चमोली।

निर्णय

थाना– चमोली द्वारा मुकदमा अपराध संख्या– 17 / 2022 में अभियुक्त मोहित पंत के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा– 323, 342, 354, 365, 427, 504 एवं 506 के तहत आरोप पत्र संख्या– 17 / 2022 विचारण हेतु न्यायालय में प्रेषित किया गया।

2. संक्षेप में, तहरीर प्रदर्श पी0– 1 के अनुसार अभियोजन कथानक इस प्रकार हैं, कि वादिनी मुकदमा / पीड़िता पूजा भंडारी टी.एच.डी.सी. ऑफिस में संविदा पर कार्य करती है और आने–जाने के लिए टी.एच.डी.सी. वालों की गाड़ी में लिफ्ट मांग लेती है। जिस कारण अभियुक्त मोहित पंत जिसकी गाड़ी टी.एच.डी.सी. में चलती है, से वादिनी मुकदमा / पीड़िता की पहचान हुई। परन्तु अभियुक्त मोहित पंत ने कल शराब पी कर शाम के समय करीब 05:00 बजे अपनी गाड़ी यू.के.11 टी.ए.2408 से एच.सी.सी पुल के पास नीचे उतर कर वादिनी मुकदमा / पीड़िता का हाथ पकड़ कर उससे बदतमीजी करी व उसके साथ मार–पीट, गाली–गलौच व जान से मारने की धमकी दी और अभियुक्त द्वारा उसका फोन तोड़ा गया व वादिनी मुकदमा / पीड़िता को जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बिठाया। इससे पहले भी अभियुक्त कई बार ऐसा कर चुका है। अतः अंत में वादिनी मुकदमा / पीड़िता द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करने की याचना की गई।

3. वादिनी मुकदमा / पीड़िता की उपरोक्त तहरीर के आधार पर थाना– चमोली में अभियुक्त मोहित पंत के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या–17 / 2022 अन्तर्गत धारा– 323, 342, 354, 427, 504 एवं 506 भारतीय दण्ड संहिता,1860 पंजीकृत किया गया और मामले की विवेचना प्रारम्भ की गयी। विवेचक द्वारा गवाहों के बयान लिये गये, मौके का नक्शा नजरी बनाया गया तथा वादिनी मुकदमा द्वारा अपने धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अन्तगर्त किये गये बयानों के आधार पर मामले में धारा 365 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की बढ़ोत्तरी कर समस्त विवेचना उपरान्त अभियुक्त मोहित पंत के विरूद्ध आरोप पत्र भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा– 323, 342, 354, 365, 427, 504 एवं 506 के अन्तर्गत न्यायालय में प्रेषित किया गया।

4. न्यायालय द्वारा आरोप पत्र पर संज्ञान लिया गया। अभियुक्त को न्यायालय में तलब किया गया। अभियुक्त की उपस्थिति पर उसे दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 207 के अनुपालन में अभियोजन पक्ष द्वारा दाखिल प्रपत्रों की नकलें प्रदान की गयी। तत्पश्चात न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा– 323, 342, 354,

न्यायिक मजिस्ट्रेट,
चमोली।

365, 427, 504 एवं 506 के अन्तर्गत आरोप विरचित किये गये। अभियुक्त ने आरोपों से इंकार किया और विचारण की मांग की।

5. अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य के रूप में पी0डब्ल्यू0–1 पूजा को परीक्षित कराया गया तथा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में तहरीर प्रदर्श पी–1, प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी–2, आरोप पत्र प्रदर्श पी–3, नक्शा नजरी प्रदर्श पी–4, गिरफ्तारी मैमो प्रदर्श पी–5 एवं सूचना मैमो प्रदर्श पी–6 प्रस्तुत किये गये। अभियुक्त की ओर से तहरीर के अतिरिक्त शेष अभियोजन प्रपत्रों की मौलिकता को स्वीकार किया गया है।

6. अभियोजन साक्ष्य समाप्ति के उपरान्त अभियुक्त के दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा–313 के अन्तर्गत बयान अंकित किये गये। जिसमें अभियुक्त द्वारा अभियोजन कथानक गलत बताते हुए स्वयं के निर्दोष होने का अभिवाक् किया गया तथा प्रतिरक्षा साक्ष्य प्रस्तुत करने से इंकार किया गया।

7. न्यायालय द्वारा अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान अभियोजन अधिकारी श्री धर्मेन्द्र कुमार एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री मनवर सिंह सजवाण के तर्कों को सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य का अवलोकन किया गया।

8. बहस के दौरान बचाव पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नगत मामले में अभियुक्त को झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त व टी.एच.डी.सी. प्रबन्धक के मध्य झगडा हुआ था, जिसके चलते रंजिशन टी.एच.डी.सी. प्रबन्धक द्वारा वादिनी मुकदमा/पीड़िता के जरिये अभियुक्त के विरूद्ध यह झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया। वास्तव में ऐसी कोई घटना नहीं हुयी है। जिसका कथन स्वयं वादिनी मुकदमा द्वारा भी अपने साक्ष्य में किया गया है। यदि वास्तव में ऐसी कोई घटना घटित हुई होती, तो वादिनी द्वारा उसी दिन पीपलकोटी चोकी पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी जानी चाहिए थी। इसके अतिरिक्त वादिनी मुकदमा/पीड़िता द्वारा अपने धारा–164 दं0प्र0सं0 के बयान भी उसको सिखाये–पढ़ाये अनुसार दिये जाने का कथन किया गया है। अतः अभियुक्त दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

9. इसके विपरीत विद्वान अभियोजन अधिकारी श्री धर्मेन्द्र कुमार की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया, कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 323, 342, 354, 365, 427, 504 एवं 506 के अन्तर्गत आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा अभियोजन की ओर से अभियुक्त पर आरोपित अपराधों को युक्तियुक्त एवं संदेह से परे साबित किया गया है। जहां तक बचाव पक्ष का यह तर्क है, कि प्रस्तुत मामला टी.एच.डी.सी. प्रबन्धक

द्वारा उसके व अभियुक्त के मध्य हुये झगड़े के चलते झूठा दर्ज कराया गया, तो टी.एच.डी.सी. प्रबन्धक इस मामले में कानूनी कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र थे, परन्तु उनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया। जिससे ऐसा कोई झगड़ा होने तथा अभियुक्त के विरूद्ध रंजिशन झुठा मुकदमा दर्ज कराये जाने के कथन की पुष्टि नहीं होती है। अतः अभियोजन पक्ष की ओर से अभियुक्त को दोषसिद्ध किये जाने की याचना की गयी।

अवधार्य प्रश्न एवं निष्कर्ष

10. प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त मोहित पंत के विरूद्ध धारा 323, 342, 354, 365, 427, 504 एवं 506 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप है। अतः प्रस्तुत मामले में न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि–

''क्या दिनांक 16.2.2022 को समय करीब 5:00 बजे से 5:30 बजे स्थान एच.सी.सी. पुल, पीपलकोटी पर अभियुक्त द्वारा अपनी गाड़ी यू.के. 11 टी.ए 2408 से उतरकर शराब के नशे में वादिनी मुकदमा/पीड़िता पूजा भंडारी का हाथ पकड़कर उससे बदतमीजी करते हुए लज्जाभंग करने के आशय से आपराधिक बल का प्रयोग किया गया, उसके साथ मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की गयी, गाली–गलौच कर साशय अपमानित किया गया व उसे जान से मारने की धमकी दी गयी, उसका फोन तोड़कर रिष्टि कारित की गयी, उसे जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बैठाकर बाहर जाने से निवारित किया गया एवं वादिनी मुकदमा का सदोष परिरोध करने के आशय से अपहरण किया गया?''

11. अभियुक्त पर लगे उक्त आरोपों के संबंध में पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन से विदित है, कि अभियोजन साक्षी संख्या–01 पूजा, जो कि मामले में वादिनी मुकदमा/पीड़िता भी हैं, द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया गया, कि वह वर्तमान समय में बी0ए0 फाईनल ईयर प्राईवेट कर रही है तथा डीपीएम हुण्डई चमोली में कार्य करती है। वर्ष 2019 से मार्च 2022 तक वह टी.एच.डी.सी. पीपलकोटी में कार्य करती थी। उसका कमरा पीपलकोटी में ही था। मोहित पंत भी टी.एच.डी.सी. में नौकरी करता था। जब वादिनी मुकदमा वहां नौकरी कर रही थी, उसी दौरान उसकी जान–पहचान मोहित पंत से हुई थी। मोहित पंत वहां कंपनी में मैक्स गाड़ी चलाता था। उससे एक दिन वादिनी मुकदमा/पीड़िता की किसी बात को लेकर बोलचाल हो गई मोहित पंत ने उसका हाथ नहीं पकड़ा था और ना ही कोई गाली गलौच व जान से मारने की धमकी दी थी और ना ही उसके द्वारा वादिनी मुकदमा/पीड़िता का फोन तोड़ा गया। उसने वादिनी मुकदमा/पीड़िता को जबरदस्ती अपनी गाड़ी में नहीं बिठाया था।

न्यायिक मजिस्ट्रेट,
चमोली।

12. अभियोजन साक्षी संख्या–01 पूजा द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया गया एवं अभियोजन की ओर से विद्वान अभियोजन अधिकारी श्री धर्मेन्द्र कुमार द्वारा उक्त साक्षी से जिरह की गयी। साक्षी द्वारा जिरह में तहरीर प्रदर्श पी0–1 को साबित किया गया। साक्षी को पुनः तहरीर की अर्न्तवस्तु पढ़कर सुनाई गई, जिसके सम्बन्ध में साक्षी द्वारा अपनी जिरह में कथन किया गया, कि ''यह तहरीर मैंने बहकावे व गुस्से में आकर दी थी। मोहित पंत ने मेरे साथ इस प्रकार की कोई घटना नहीं की थी।'' साक्षी को उसके धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयानों का अवलोकन कराया गया, जिस पर साक्षी ने अपने हस्ताक्षर होने की शिनाख्त की। इसके पश्चात् साक्षी को बयान पढ़कर सुनाये गये। साक्षी ने यह कथन किया है, कि ''यह बयान भी मैंने गुस्से में आकर दिये थे। मोहित पंत ने मेरे साथ ऐसी कोई घटना कारित की थी और ना ही मुझे गाड़ी में बिठाकर कहीं ले गया था।'' साक्षी को उसके धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान पढ़कर सुनाये जाने पर साक्षी द्वारा पुलिस को ऐसे बयान नहीं दिये जाने का कथन किया गया।

13. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता श्री मनवर सिंह सजवाण द्वारा जिरह किये जाने पर वादिनी मुकदमा/पीडिता पी0डब्ल्यू0–1 ने कथन किया, कि "मैं तथा मोहित पंत टी.एच.डी.सी. में नौकरी करते थे। यह कहना सही है कि कथित अभियुक्त मोहित पंत व टी.एच.डी.सी. प्रबन्धन का कथित दिनांक को विवाद हुआ था किस बात को हुआ था इस बात की मुझे जानकारी नहीं है।'' साक्षी द्वारा बचाव पक्ष के सुझाव को स्वीकार करते हुए कथन किया गया, कि वह 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान देने पुलिस के साथ आई थी और सिखाई पढ़ाई अनुसार उसके द्वारा 164 के बयान दिये गये थे। साक्षी द्वारा बचाव पक्ष के इस सुझाव को भी स्वीकार किया गया, कि उसके साथ अभियुक्त द्वारा कोई विवाद नहीं किया गया था। टी.एच.डी.सी. प्रबन्धक के कहने पर अभियुक्त के विरूद्ध यह तहरीर दी थी।

14. उक्त साक्षी के समस्त साक्ष्य के अवलोकन से स्पष्ट होता है, कि अभियोजन साक्षी द्व ारा अपनी मुख्य परीक्षा एवं प्रतिपरीक्षा में कहीं भी अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया गया है तथा उसके साथ अभियुक्त द्वारा इस प्रकार की कोई घटना कारित किये जाने से इंकार किया गया है। जिससे अभियोजन की कहानी संदेहास्पाद प्रतीत होती है। अभियोजन साक्षी संख्या–1 के अतिरिक्त अभियोजन की ओर से अन्य कोई साक्षी न्यायालय के समक्ष परीक्षित नहीं कराया गया है। इस प्रकार ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है, जो अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को युक्तियुक्त एवं सन्देह से परे साबित करते हो। जहां तक बचाव पक्ष द्वारा अभियोजन प्रपत्रों की मौलिकता को स्वीकार किये जाने का प्रश्न है। तो इस संबंध में यह उल्लेखनीय है, कि सारवान साक्ष्य के अभाव में मात्र मौलिकता

स्वीकार करने से अभियुक्त की दोषिता साबित नहीं होती। इससे केवल अभियोजन प्रपत्रों का निष्पादित होना साबित होता है न कि दस्तावेजों की अन्तर्वस्तु साबित होती है।

15. दाण्डिक न्याय का यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि दोषसिद्धि के लिए अभियोजन को अपना पक्ष साबित करने के लिए अपना वृतांत सन्देह से परे साबित करना होता है। प्रस्तुत मामले में अभियोजन अपने उपर सृजित साक्ष्य के भार को साबित करने में असफल रहा है, जिसके परिणामस्वरूप अभियुक्त के विरूद्ध यह अभियोग असफल हो जाता है।

16. अतः यह न्यायालय अभियोजन द्वारा साक्ष्य के माध्यम से प्रस्तुत तथ्य एवं परिस्थितियों के विवेचन के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचता है, कि अभियुक्त मोहित पंत प्रश्नगत मामले में धारा 323, 342, 354, 365, 427, 504 एवं 506 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप से, सन्देह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त(A-1) मोहित पंत पुत्र श्री दिवाकर प्रसाद पंत को प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्य–17 / 2022, अन्तर्गत धारा 323, 342, 354, 365, 427, 504 एवं 506 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्त जमानत पर है। अभियुक्त के व्यक्तिगत बन्ध पत्र व जमानतनामें निरस्त कर जमानतियों को जमानत के दायित्व से उन्मोचित किया जाता है। अभियुक्त द्वारा धारा 437ए दण्ड प्रक्रिया संहिता,1973 के अनुपालन में निष्पादित व्यक्तिगत बन्ध पत्र व प्रतिभू निर्णय की तिथि से अग्रिम छः माह तक प्रवृत्त रहेगें।

दिनांक–27.04.2023

(जैनब)
न्यायिक मजिस्ट्रेट
चमोली।

यह निर्णय आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर उद्घोषित किया गया।

दिनांक–27.04.2023

(जैनब)
न्यायिक मजिस्ट्रेट
चमोली।

न्यायिक मजिस्ट्रेट,
चमोली।

Appendix of Evidence (साक्ष्य का परिशिष्ट)

List of Prosecution / Defence/Court Witnesses

(Annexure-1)

अभियोजन/बचाव पक्ष/न्यायालय साक्षीगण की सूचीः–

ए– अभियोजन साक्षीगणः–

साक्षी का कमांक	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकृति
पी0डब्ल्यू0–1	पूजा	वादिनी मुकदमा/पीड़िता

बी– बचाव साक्षीगण, यदि कोई होः–

साक्षी का कमांक	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकृति
डी0डब्ल्यू0–1	बचाव पक्ष की ओर से कोई साक्षी नहीं	–

सी– न्यायालय साक्षीगण, यदि कोई होः–

साक्षी का कमांक	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकृति
सी0डब्ल्यू0–1	कोई नहीं	–

Annexure-2

अभियोजन/बचाव पक्ष/न्यायालय प्रदर्शों की सूचीः–

ए– अभियोजन पक्षः–

कमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	प्रदर्श P-1/PW-1	तहरीर
2	प्रदर्श P-2	प्रथम सूचना रिपोर्ट
3	प्रदर्श P-3	आरोप पत्र
4	प्रदर्श P-4	नक्शा नजरी
5	प्रदर्श P-5	गिरफ्तारी मैमो
6	प्रदर्श P-6	सूचना मैमो

बी– बचाव पक्षः–

कमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	प्रदर्श डी0-1/डी0डब्ल्यू01	–

न्यायिक मजिस्ट्रेट,
चमोली।

सी– न्यायालय प्रदर्शः–

क्रमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	प्रदर्श सी0-1 / सी0डब्ल्यू01	–

डी– वस्तु प्रदर्शः–

क्रमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	**–**	**–**

दिनांक–27.04.2023

(जैनब)
न्यायिक मजिस्ट्रेट
चमोली।

न्यायिक मजिस्ट्रेट,
चमोली।